

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 2723 / 11-सी-FP/UP/The/36097/2018, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 31, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र,  
मीरजापुर।

विषय:- एन०टी०पी०सी० रिहन्दनगर बीजपुर-सोनभद्र द्वारा जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-4639 / मी०क्षे० / 33, दिनांक 28.06.2023

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण का ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसमें परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोण के अंतर्गत संलग्न किये गये प्राक्कलन में वार्षिक वृद्धि दर (Escalation Rate) त्रुटिपूर्ण ली गयी है।

अतः अग्रिम मृदा कार्य वर्ष को छोड़ कर आगामी वर्षों में प्रतिवर्ष सही वार्षिक वृद्धि दर (Escalation Rate) के अनुसार संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोण का प्राक्कलन एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करते हुये ऑनलाइन प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।



पत्रांक:- 2723 / 11-सी-FP/UP/The/36097/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. उप महाप्रबन्धक (मा०सं०), एन०टी०पी०सी० रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर, बीजपुर, जिला-सोनभद्र।



(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

